139

[2019] 17 एस. सी. आर. 139

/

जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

आय कर और ए. एन. आर. विभाग के आयुक्त। (2019 की सिविल अपील संख्या 8945)

/

नवंबर 22,2019

[उदय उमेश ललित और इंदिरा बनर्जी**,** जे**.** जे**.]**

आय कर अधिनियम, 1961:

धारा 246(1)(क) और 246 क (1) (क)-आयोजितःप्रावधानों का दायरा यू/एस. एस. के तहत मूल्यांकन कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े मुद्दों तक सीमित नहीं हो सकता है। 143 आयकर अधिनियम की धारा 144-निर्धारण यू/एस।115 अधिनियम का क्यू. ए. भी एस. अंतर्गत आएगा।246(1)(ए)।

/

धारा 115 क्यू. ए.-मूल्यांकन आदेश-देयता यू/एस।115 क्यू. ए.-निर्धारिती द्वारा अस्वीकृत-मूल्यांकन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका लिखें-उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर निपटाई गई याचिका कि वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के कारण उस पर विचार नहीं किया जा सका।246-अधिनियम का ए-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितःदायित्व यू/एस के निर्धारण के खिलाफ एक अपील बनाए रखने योग्य है।115 क्यू. ए.-इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पर विचार नहीं किया गया।अभ्यास और प्रक्रियाः

/

/

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका-इसकी स्थिरता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति-प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार किए बिना जारी किया गया नोटिस जिसे बाद में पूर्ण बना दिया गया था-अभिवचनों के पूरा होने के बाद, वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर याचिका का निपटारा किया गया क्योंकि यह स्वीकार्य नहीं है-याचिका कि प्रारंभिक मुद्दों का निर्णय सीमा पर किया जाता है और एक बार उस चरण को पार करने के बाद, उच्च न्यायालय प्रारंभिक मुद्दे पर विचार नहीं कर सकता था-आयोजित किया गयाःवर्तमान मामले में प्रारंभिक मुद्दे को नहीं निपटाया गया था और उसका निपटारा नहीं किया गया था और वह अभी भी बड़े पैमाने

पर था-इसलिए, प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लेने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई कमजोरी नहीं है।

/

/

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया **:1.1** आयकर अधिनियम**, 1961** की धारा **246 (1) (**ए**)** में निर्दिष्ट आदेशों या स्थितियों के प्रकार

/

139 ए.

140 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 17 एस. सी. आर.

ये हैं**:- (i)** निर्धारिती के खिलाफ एक आदेश**,** जहां निर्धारिती इस अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्व का आकलन करने से इनकार करता है**,** या **(ii)** धारा **143** की उप**-**धारा **(1)** या उप**-**धारा **(1** बी**)** के अंतर्गत एक सूचना जहां निर्धारिती समायोजन करने पर आपत्ति करता है**,** या **(iii)** धारा **143** की उप**-**धारा **(3)** या धारा **144** के अंतर्गत मूल्यांकन का कोई आदेश**,** जहां निर्धारिती आपत्ति करता है**:-** निर्धारित आय की राशि**,** या निर्धारित कर की राशि**,** या संगणित हानि की राशि**,** या उस स्थिति के लिए जिसके अंतर्गत उसका आकलन किया जाता है।ऊपर **(ii)** और **(iii)** में विस्तृत आकस्मिकताएं अधिनियम की धारा **143** या धारा **144** के अंतर्गत मूल्यांकन कार्यवाही से उत्पन्न होती हैं**,** लेकिन पहली आकस्मिकता एक स्वतंत्र अभिधारणा है और यह विशुद्ध रूप से अधिनियम की धारा **143** या धारा **144** के अंतर्गत मूल्यांकन कार्यवाही पर निर्भर नहीं है। **"**मूल्यांकन किए जाने के लिए अपने दायित्व से इनकार**"** अभिव्यक्ति हर उस मामले को अपने दायरे में लेने के लिए काफी व्यापक है जहां निर्धारिती अधिनियम के अंतर्गत मूल्यांकन किए जाने के लिए अपने दायित्व से इनकार करता है। **[**पैरा **11] [157-**एच**; 158-**ए**-**डी**]**

/

/

/

आयकर आयुक्त, यू. पी., लखनऊ बनाम कानपुर

कोल सिंडिकेट ए. आई. आर. (1965) एस. सी. 325:[1964] एस. सी. आर. 85-निर्भर।

1.2 अधिनियम की धारा **115** क्यू. ए. में कहा गया है कि उक्त धारा के प्रावधानों में निर्दिष्ट शेयरों की पुनर्खरीद के मामले में, कंपनी वितरित आय पर **20** प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।उस ओर से कोई भी निर्धारण, चाहे वह देयता की मात्रा के संबंध में हो या यह प्रश्न कि क्या ऐसी कंपनी उत्तरदायी है या नहीं, ऊपर उल्लिखित पहले अभिधारणा के दायरे में आने वाले मामले होंगे।इसी तरह की स्थिति धारा **246** ए **(1) (**ए**)** के प्रावधानों के संबंध में है जहां फिर से कुछ स्थितियों पर विचार किया गया है, उनमें से एक "निर्धारिती के खिलाफ एक आदेश है, जहां निर्धारिती इस अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्व का आकलन करने से इनकार करता है"।देयता की गणना और सीमा अधिनियम की धारा **115** क्यूए के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। अधिनियम के अंतर्गत इस तरह का निर्धारण स्पष्ट रूप से उक्त अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल होगा।ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस तरह की अभिव्यक्ति का दायरा अधिनियम की धारा **143** या धारा **144** के अंतर्गत मूल्यांकन कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े मुद्दों तक ही सीमित और सीमित हो। **[**पैरा **12] [158-**ई**-**जी**]** ए

/

/

/

/

141

जनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम डिपार्टमेंट कमीशन ऑफ इनकम टैक्स ए

1.3 यदि धारा **246 (1) (**ए**)** या धारा **246** ए **(1) (**ए**)** की अभिव्यक्ति को धारा **143 (3)** के अंतर्गत मूल्यांकन किए जाने वाले निर्धारिती के दायित्व से संबंधित माना जाता है, तो धारा **115** क्यूए के अंतर्गत किसी भी निर्धारण के मामले में कोई अपीलीय उपचार नहीं होगा। मुद्दे न केवल इस प्रश्न तक सीमित हो सकते हैं कि क्या कंपनी बिल्कुल भी उत्तरदायी है, बल्कि दायित्व की सीमा और गणना के संबंध में अन्य पहलुओं से भी संबंधित हो सकते हैं।यदि विवाद को संविधान के अनुच्छेद **226** के अंतर्गत एक याचिका जैसी कार्यवाही में लिया जाता है, जिसे आम तौर पर तथ्य के किसी भी विवादित प्रश्न या मामले के तथ्यात्मक पहलुओं के मामले में स्वीकार नहीं किया जाएगा।इस प्रकार निर्धारिती न केवल मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करने का उपाय खो सकता है, बल्कि अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध मंचों के पदानुक्रम के अंतर्गत उसके लिए उपलब्ध चुनौतियों के नियमित माध्यमों से भी वंचित रह सकता है। इसलिए, अधिनियम की धारा **115** क्यू. ए. के अंतर्गत दायित्व के निर्धारण के खिलाफ एक अपील विचारणीय होगी। **[**पारस **13** और **14] [158-**एच**; 159-**ए**-**डी**]**

/

/

/

2. रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई कमजोरी नहीं है।यह निवेदन कि प्रारंभिक आपत्ति उठाए जाने के बावजूद एक बार सीमा पार हो जाने के बाद**,** उच्च न्यायालय को वैकल्पिक उपचार के संबंध में मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहिए था**,** सही नहीं हो सकता है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले आदेश में प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की गई थी**,** लेकिन प्रथम दृष्टया यह विचार था कि धारा **115** क्यूए में परिभाषित लेनदेन शुरू में केवल कंपनी अधिनियम की धारा **77** ए के दायरे में आने वाले लोगों तक ही सीमित थे। इसलिए प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किए बिना मामले में नोटिस जारी किया गया।बाद के आदेश ने निस्संदेह पहले के अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बना दिया।हालाँकि**,** प्रारंभिक आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया और उसका निपटारा नहीं किया गया**,** फिर भी मामला अभी भी फरार था।**[**पैरा **16] [161-**जी**; 162-**ए**-**बी**]**

/

/

आयकर आयुक्त और अन्य बनाम छबील

/

दास अग्रवाल (2014) 1 एससीसी 603; अधिकृत अधिकारी,

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर एंड एन. आर. बनाममैथ्यू के. सी

(2018) 3 एससीसी 85:[2018] 1 एस. सी. आर. 233; यू. पी. राज्य

बनाम यू. पी. राज्य खानज विकास निगम संघर्ष समिति

और अन्य (2008) 12 एस. सी. सी. 675:[2008] 7 एस. सी. आर. 536-पर निर्भर।

/

संदर्भित निर्णय

[1964] एससीआर **85**

पर विश्वास किया

पैरा **9**

(2014) 1 एस**.** सी**.** सी**. 603**

पर विश्वास किया

पैरा **15**

[2018] 1 एससीआर **233**

पर विश्वास किया

पैरा **15**

/

[2008] 7 एससीआर **536**

पर विश्वास किया

पैरा **16**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2019 की सिविल अपील संख्या 8945।

2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 686 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 19.08.2019 के निर्णय और आदेश से।मुकुल रोहतगी, एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता।, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अंकुर सहगल, करण लूथरा, सुश्री नियति कोहली, ई. सी. अग्रवाल, शाइशीन एस. दिवतिया, जोहेब हुसैन, रजत नायर, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित**,** जे।

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील 2017 की रिट याचिका No.686 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.08.2019 से उत्पन्न होती है।

/

3. वर्तमान अपील दायर करने के लिए अग्रणी तथ्य, संक्षेप में, निम्नानुसार हैं:

(क) अपने एकमात्र शेयरधारक और होल्डिंग कंपनी जेनपैक्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट, मॉरीशस द्वारा रखे गए 25,68,700 शेयरों की शुरुआती शेयर पूंजी में से, अपीलकर्ता ने मई 2013 में

Rs.32,000/- प्रति शेयर की दर से Rs.800 करोड़ के कुल प्रतिफल के लिए 2,50,000 शेयरों को वापस खरीद लिया।(ख) वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) में धारा 115QA, 115QB और 115QC से युक्त अध्याय XIIDA को जोड़ा गया था, जो 01.06.2013 से प्रभावी हुआ था।धारा 115QA, जो 01.06.2016 पर लागू हुए संशोधन से पहले थी, निम्नलिखित प्रभाव से थीः

/

/

/

143

जनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विभाग

आय कर आयुक्त [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

/

“ धारा 115QA:शेयरधारकों को वितरित आय पर कर -

(1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए घरेलू कंपनी की कुल आय के संबंध में प्रभार्य आय-कर के अलावा, किसी शेयरधारक से शेयरों के पुनर्खरीद (जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर नहीं हैं) पर कंपनी द्वारा वितरित आय की किसी भी राशि पर कर लगाया जाएगा और ऐसी कंपनी वितरित आय पर बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-(i) "पुनर्खरीद" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 ए के प्रावधानों के अनुसार किसी कंपनी द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद; (ii) "वितरित आय" का अर्थ है शेयरों की पुनर्खरीद पर कंपनी द्वारा भुगतान किया गया प्रतिफल, जो ऐसे शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त राशि से कम है।

/

/

/

(2) इसके बावजूद कि किसी घरेलू कंपनी द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संगणित अपनी कुल आय पर कोई आय-कर देय नहीं है, उप-धारा (1) के अंतर्गत वितरित आय पर कर ऐसी कंपनी द्वारा देय होगा।

/

(3) घरेलू कंपनी और कंपनी का प्रधान अधिकारी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट शेयरों की पुनर्खरीद पर शेयरधारक को किसी भी प्रतिफल के भुगतान की तारीख से चौदह दिनों के भीतर केंद्र सरकार को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।(4) कंपनी द्वारा वितरित आय पर कर को उक्त आय के संबंध में कर के अंतिम भुगतान के रूप में माना जाएगा और इसके लिए कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस तरह से भुगतान की गई कर राशि के संबंध में कोई और क्रेडिट का दावा नहीं किया जाएगा।

/

/

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत कंपनी या शेयरधारक को कोई कटौती की अनुज्ञात नहीं दी जाएगी।

/

144

/

[2019] 17 एस सी आर।

उस आय का, जिस अंतर्गत उप-धारा (1) या उस अंतर्गत कर लगाया गया है। "

"पुनर्खरीद" के संबंध में स्पष्टीकरण, हालांकि, संशोधित किया गया था और 01.06.2016 से प्रभावी, यह इस प्रकार हैः-

“(i) "पुनर्खरीद" का अर्थ है किसी कंपनी द्वारा कंपनियों से संबंधित तत्काल लागू किसी विधि के प्रावधानों के अनुसार अपने स्वयं के शेयरों की खरीद;

/

(ग) 2013 की कंपनी याचिका No.349 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 10.09.2013 पर व्यवस्था के लिए एक योजना को मंजूरी दी गई थी।इसके अनुसार, अपीलार्थी ने उक्त जेनपैक्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट, मॉरीशस से 2,625 करोड़ रुपये के कुल प्रतिफल के लिए Rs.35,000 प्रति शेयर की दर से 7,50,000 शेयरों की एक और किश्त वापस खरीद ली।(घ) निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए अपीलार्थी द्वारा 28.11.2014 पर दाखिल आयकर विवरण में, "घरेलू कंपनियों के वितरित लाभ और उसके भुगतान पर कर का विवरण" "अनुसूची डी. डी. टी". में दिया गया था, जिसमें उपरोक्त लेनदेन का विवरण दिया गया था, लेकिन किसी भी कर का भुगतान करने की देनदारी से इनकार कर दिया गया था।अधिनियम की धारा 143 (2) के

अंतर्गत अपीलार्थी को 03.09.2015 पर एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आगे स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके अनुसार आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए गए थे।

/

/

/

(ङ) इसके बाद मामले पर विचार किया गया और पहले प्रतिवादी द्वारा 31.12.2016 पर एक मूल्यांकन आदेश पारित किया गया।प्रथम प्रतिवादी द्वारा कम से कम 10 परिवर्धन किए गए थे, जिनमें से एक अधिनियम की धारा 115 क्यूए के अंतर्गत दायित्व के संबंध में था। चूँकि हम इस अपील में केवल धारा 115QA के अंतर्गत दायित्व के संबंध में मुद्दे से संबंधित हैं, इसलिए हमें अन्य मुद्दों से निपटने की आवश्यकता नहीं है।

/

/

(च) जहां तक प्रश्न गत मुद्दे का संबंध है, अपीलार्थी-निर्धारिती की ओर से प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों को निम्नानुसार नोट किया गया थाः

“28.12.2016 दिनांकित पत्र के माध्यम से, निर्धारिती ने प्रस्तुत किया है कि शेयरों की पुनर्खरीद ए में की गई है

/

145

जनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विभाग

आय कर आयुक्त [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 के अंतर्गत व्यवस्था की योजना का अनुसरण और इस तरह से कि यह अधिनियम की धारा 115QA के संदर्भ में पुनर्खरीद नहीं है।छ) इस मामले को पहले प्रतिवादी द्वारा निम्नानुसार निपटाया गया थाः

/

“निर्धारिती के प्रस्तुत करने पर विचार किया गया था लेकिन इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया क्योंकि इसमें कोई सार नहीं है।मामले के तथ्यों और राजस्व के समर्थन अंतर्गत तर्क पर चर्चा करने से पहले धारा 115QA की पृष्ठभूमि को समझना भी महत्वपूर्ण है। धारा 115 क्यू. ए.

को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद की आड़ अंतर्गत मॉरीशस स्थित होल्डिंग कंपनी को शेयरधारकों को आय वितरित करने के लिए मुख्य रूप से भारतीय सहायक कंपनियों द्वारा अपनाई गई कर परिहार प्रथा का मुकाबला करने के लिए जोड़ा गया था।आयकर अधिनियम अंतर्गत शेयरधारकों के हाथों में धारा 46 ए के तहत शेयरों का पुनर्खरीद कर योग्य है।हालांकि, भारत-मॉरीशस डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 13 का लाभ उठाते हुए, जो उस देश में कर योग्य मॉरीशस निवासी के शेयरों के हस्तांतरण पर उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ का प्रावधान करता है और मॉरीशस कर कानूनों के अंतर्गत पूंजीगत लाभ पूरी तरह से छूट प्राप्त है, कर के दायरे से बचने के लिए पूरे लेनदेन का उपयोग किया जाता है।इस प्रकार कानून में इस खामी को दूर करने के लिए, धारा 115QA को यह प्रावधान करने के लिए पेश किया गया है कि जहां शेयरों को उस कीमत से अधिक कीमत पर वापस खरीदा जाता है जिस पर वे शेयर जारी किए गए थे, तो शेष राशि को शेयरधारक को आय के वितरण के रूप में माना जाएगा और Tax@20% कंपनी द्वारा देय होगा।धारा 115QA केवल घरेलू गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होती है।

/

/

/

/

धारा 115 क्यूए के प्रावधानों को अध्याय 12 ए के हिस्से के रूप में एक परिहार विरोधी उपाय के रूप में और भारत में कर आधार को व्यापक बनाने के इरादे से भी पेश किया गया है। व्याख्यात्मक ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया है कि इसका उद्देश्य गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयरधारकों को आय के भुगतान के बदले शेयरों को वापस खरीदने की प्रथा पर अंकुश लगाना है और जो कर योग्य है

/

/

भारत में।कंपनी द्वारा अपने शेयरों की पुनर्खरीद पर वितरित राशि पर पुनर्खरीद कर लगाया जाता है।

...

...

...

धारा 115 क्यूए अधिनियम की सभी धाराओं को ओवरराइड करती है और यह एक अलग प्रभार अनुभाग है जो शेयरों की पुनर्खरीद पर वितरित कर राशि है। "

/

अपीलार्थी की ओर से अग्रिम प्रस्तुतिकरण को अस्वीकार करते हुए, प्रथम प्रत्यर्थी ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि नौ शीर्षों के अलावा, जिनके अंतर्गत परिवर्धन किए गए थे, अपीलार्थी-निर्धारिती भी 2,625 करोड़ रुपये की वितरित आय के संबंध में अधिनियम की धारा 115 क्यूए के संदर्भ में 20 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

/

ज. यह उल्लेख किया जा सकता है कि जहां तक प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त मूल्यांकन आदेश द्वारा किए गए उन नौ परिवर्धनों का संबंध है, अपीलार्थी द्वारा एक अपील दायर की गई थी। हअंतर्गत सूचित किया गया है कि अपील का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष अंतर्गत किया गया था, लेकिन राजस्व के कहने पर आगे की चुनौती पर विचार किया जा रहा है।जहां तक धारा 115QA के अंतर्गत कर से संबंधित मुद्दे का संबंध है, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में 2017 की रिट याचिका (सिविल) No.686 दायर की, जिसमें कहा गया कि पहले प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था क्योंकि तत्काल मामले में शेयरों की पुनर्खरीद उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की योजना के अनुसरण में थी।i) यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष 25.01.2017 पर आया जब एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि अपील दायर करने का वैकल्पिक और प्रभावी उपाय उपलब्ध था।नोटिस जारी करते समय उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी कीः

/

/

/

“ प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय की राय में, अधिनियम की धारा 115 क्यूए में गैर-अस्थाई खंड प्रावधान द्वारा परिभाषित लेनदेन के लिए लेवी की प्रकृति को प्रतिबंधित करता है।परिभाषित लेन-देन वे हैं जो कंपनी अधिनियम की धारा 77 ए के अंतर्गत आते हैं। उल्लेखनीय है कि कंपनी द्वारा अपने स्वयं के शेयरों के शेयर अधिग्रहण के सभी तरीकों को शामिल करने का संसदीय इरादा ए की धारा 115 क्यूए में बाद के संशोधन से स्पष्ट है।

/

/

अधिनियम, जब इसने केवल कंपनी अधिनियम की धारा 77 ए का ही नहीं बल्कि विधि के अन्य सभी प्रावधानों का उल्लेख करके प्रथम स्पष्टीकरण में 'बाय-बैक' का अर्थ समझाया।यह कि इस प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया था, इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता की दलीलों को और मजबूत करता है।

/

इन प्रथम दृष्टया कारणों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की राय है कि वह अधिनियम की धारा 115 क्यूए के अंतर्गत शुल्क की वसूली करने की आक्षेपित मांग को सुनवाई की अगली तारीख तक लागू नहीं किया जाना चाहिए।यह इतना निर्देशित है।

/

28.03.2017 पर सूची बनाएँ। "

जे) इसके बाद मामला 30.08.2017 पर आया जब 25.01.2017 दिनांकित अंतरिम आदेश को पूर्ण बना दिया गया।ट) जब अभिवचन पूरा होने के बाद मामला उठाया गया था, तो राजस्व की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि अपील का उपाय अपीलार्थी के लिए उपलब्ध था, इसलिए रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।दूसरी ओर, अपीलार्थी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 115QA के अंतर्गत उठाई गई मांग को पहले प्रतिवादी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश का हिस्सा नहीं माना जा सकता है और यह मूल्यांकन के आदेश से कुछ अलग होना चाहिए।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस निवेदन को निम्नानुसार देखते हुए खारिज कर दिया थाः

/

/

“शुरुआत में, न्यायालय सबसे पहले श्री गणेश की इस दलील पर विचार करना चाहेगा कि अधिनियम की धारा 115 क्यूए के अंतर्गत उठाई गई आक्षेपित मांग को आक्षेपित मूल्यांकन आदेश का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए और यह इससे कुछ अलग है।हालांकि यह सच है कि अधिनियम की धारा 115 क्यूए के अंतर्गत मांग कुल आय के अतिरिक्त होगी, लेकिन तथ्य यह है कि वर्तमान मामले में यह अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत आक्षेपित मूल्यांकन आदेश का एक अभिन्न अंग है। समग्र रूप से मूल्यांकन आदेश को पढ़कर, न्यायालय के लिए यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 115 क्यूए के अंतर्गत यह मांग मांगों के अलावा है।

/

/

/

148

/

[2019] 17 एस सी आर।

अन्य मुद्दों के अंतर्गत , जो सभी आक्षेपित मूल्यांकन आदेश का हिस्सा हैं।वास्तव में, आक्षेपित निर्धारण आदेश के पैराग्राफ 11, जो कुल कर योग्य आय की गणना देता है, में सभी शीर्षों के अंतर्गत उठाई गई मांगें शामिल हैं और इसमें अधिनियम की धारा 115QA के अंतर्गत मांग शामिल है। इसलिए, इस न्यायालय के लिए आदेश के इस भाग को शेष मूल्यांकन आदेश से अलग पढ़ना संभव नहीं है। "I) इस मुद्दे पर कि क्या एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के कारण रिट याचिका पर विचार किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर प्रासंगिक मामला विधि पर विचार किया और कहाः

/

/

“23. अधिनियम की धारा 115 क्यूए की व्याख्या के संबंध में प्रश्न , जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था, निश्चित रूप से सी. आई. टी. (ए) द्वारा देखा जा सकता है।इसके अलावा, इस न्यायालय ने वास्तव में याचिका की स्थिरता पर अभी तक कोई विचार व्यक्त नहीं किया है, हालांकि जैसा कि सही बताया गया है कि इस मामले पर पहले भी सुनवाई हुई थी।तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी ने पहले उपलब्ध अवसर पर आपत्ति उठाई।यहाँ पहले बताए गए कारणों के कारण, इस मुद्दे पर अब तक निर्णय नहीं लिया जा सका है।हालाँकि, यह कहना सही नहीं होगा कि इस न्यायालय ने निहित रूप से ऐसी आपत्ति को खारिज कर दिया है और योग्यता के आधार पर याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है।24. न्यायालय इस संदर्भ में यह भी नोट करता है कि निर्धारिती वास्तव में उसी आक्षेपित मूल्यांकन आदेश से उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों पर सी. आई. टी. (ए) के समक्ष अपनी अपील में सफल रहा है और यह राजस्व है जो अब आई. टी. ए. टी. के समक्ष अपील में है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आक्षेपित मूल्यांकन आदेश से उत्पन्न होने वाले इस एक अन्य मुद्दे की भी सी. आई. टी. (ए) द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। "

/

/

/

/

एम) उच्च न्यायालय ने राजस्व की ओर से दी गई कुछ रियायतों को भी दर्ज किया और निम्नलिखित निर्देशों के साथ अपने निर्णय और आदेश दिनांक 19.08.2019 द्वारा रिट याचिका का निपटारा कियाः

"(i) न्यायालय इस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर देता है

/

149

जनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विभाग

आय कर आयुक्त [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत निर्धारिती के खिलाफ अधिनियम की धारा 115 क्यूए के अंतर्गत आक्षेपित मूल्यांकन आदेश के माध्यम से राजस्व द्वारा उठाई गई आक्षेपित मांग के खिलाफ।

(ii) निर्धारिती को सी. आई. टी. (ए) के समक्ष अधिनियम की धारा 246-ए के अंतर्गत अपील दायर करने का अवसर दिया जाता है ताकि केवल आक्षेपित मूल्यांकन आदेश को चुनौती दी जा सके क्योंकि यह अधिनियम की धारा 115 क्यू. ए. के अंतर्गत मांग पैदा करता है।

/

(iii) यदि ऐसी अपील आज से दस दिनों के भीतर दायर की जाती है, तो उस पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा और सी. आई. टी. (ए) द्वारा निर्धारिती द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जाएगा, जो वर्तमान याचिका में उठाए गए मुद्दों के साथ-साथ विधि के अनुसार राजस्व द्वारा दिए गए जवाब तक सीमित नहीं होगा।

/

/

((iv) तर्कपूर्ण आदेश सी. आई. टी. (ए) द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 के बाद पारित किया जाएगा।इसके बाद दस दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को सूचित कर दिया जाएगा।आदेश के इस तरह के संचार की तारीख के बाद दो सप्ताह की अवधि के लिए, आक्षेपित मूल्यांकन आदेश के अंतर्गत मांग, यदि अपील में सी. आई. टी. (ए) द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है, तो निर्धारिती के खिलाफ लागू नहीं की जाएगी।(v) न्यायालय राजस्व के बयान को रिकॉर्ड पर रखता है कि वह

सी. आई. टी. (ए) के समक्ष ऐसी अपील की स्थिरता और अपील को सीमा द्वारा वर्जित किए जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाएगा।न्यायालय राजस्व के इस कथन को भी दर्ज करता है कि वह उपरोक्त अपील के निपटारे तक आक्षेपित मूल्यांकन आदेश के संदर्भ में मांग को लागू नहीं करेगा।उपरोक्त सभी आज से दस दिनों के भीतर सी. आई. टी. (ए) के समक्ष अपील दायर करने के अधीन हैं।(vi) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर किसी भी पक्ष की दलीलों पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। "

/

/

/

4. उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए उपरोक्त दृष्टिकोण को इस मामले में दायर 2019 की विशेष अनुमति याचिका No.20728 के माध्यम से चुनौती दी गई थी।

/

26.08.2019 पर न्यायालय ।उच्च न्यायालय द्वारा दी गई 10 दिनों की समय सीमा के भीतर, अपीलार्थी द्वारा "धारा 115QA के अंतर्गत उठाई गई मांग/पारित आदेश" के खिलाफ 30.08.2019 पर "बिना किसी पूर्वाग्रह के" एक अपील भी की गई थी।उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय के समक्ष आई. डी. 1 पर आई, जिसके बाद मामले को कुछ मौकों पर स्थगित कर दिया गया और फिर अंतिम निपटान के लिए लिया गया।

/

5. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी और श्री एस. गणेश और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन को सुना।

अपीलार्थी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 115 क्यूए के अंतर्गत पारित आदेश के संबंध में, अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपील का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होगा और जिस आधार पर उच्च न्यायालय ने कार्रवाई की, वह गलत था; किसी भी मामले में किसी वैकल्पिक और प्रभावी उपाय के अस्तित्व की याचिका पर उस सीमा पर विचार किया जाएगा जब एक रिट याचिका को प्रारंभिक सुनवाई के लिए लिया जाता है; क्योंकि प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी और ऐसी आपत्ति के बावजूद, उच्च न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया था जो कि 25.01.2017 और 30.08.2017 के आदेशों से स्पष्ट है, उसी मुद्दे

को उच्च न्यायालय के साथ नहीं तोलना चाहिए था; कि समामेलन की योजना उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित की गई थी और उसके अनुसरण में शेयरों की किसी भी खरीद-वापसी के दायरे में नहीं आएगी।

/

/

/

दूसरी ओर राजस्व द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 115 क्यू. ए. के अंतर्गत कर का भुगतान करने के दायित्व का निर्धारण करने वाला कोई भी आदेश अपील योग्य होगा; कोई भी अन्य दृष्टिकोण संबंधित निर्धारकों के लिए जबरदस्त पूर्वाग्रह पैदा करेगा; राजस्व की ओर से दी गई रियायतें जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों में दर्ज की गई थीं, इस मामले में संभवतः उत्पन्न होने वाली किसी भी असुविधा और पूर्वाग्रह का पूरी तरह से ध्यान रखेंगी।

/

6. अपनी लिखित प्रस्तुतियों में, अपीलार्थी ने प्रस्तुत कियाः- I. 01.06.2013 से कानून की पुस्तक में पेश किए जाने के बाद धारा 115QA के अंतर्गत किसी आदेश के खिलाफ कोई वैधानिक अपील प्रदान नहीं की गई है।धारा 115 क्यू. ए. आदेश को संभवतः धारा 143 (3) के अंतर्गत पारित मूल्यांकन आदेश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, जिसके खिलाफ धारा 246 ए के अंतर्गत अपील की जाती है। धारा 143 (3) के अंतर्गत एक आदेश केवल ए का आकलन करता है।

/

/

151

जनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विभाग

आय कर आयुक्त [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

“आयकर अधिनियम की धारा 2 (45) में परिभाषित निर्धारिती की कुल आय। बाय-बैक करने वाली कंपनी द्वारा धारा 115 क्यूए के अंतर्गत देय कर कंपनी द्वारा किए गए भुगतान पर देय कर है न कि उसकी "कुल आय" पर देय कर और इसलिए, धारा 115 क्यूए एक "मूल्यांकन" की बात बिल्कुल नहीं करता है, जो आयकर अधिनियम में कला का एक शब्द है, जो "निर्धारिती की कुल आय" के निर्धारण तक सीमित है।” धारा 246 ए में "निर्धारिती के दायित्व का निर्धारण करने से इनकार" भी धारा 143 (3) के अंतर्गत मूल्यांकन किए जाने वाले उसके

दायित्व तक ही सीमित है और इसका धारा 115 क्यूए के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए निर्धारिती के दायित्व से कोई लेना-देना नहीं है।

/

/

...

...

...

II. डिवीजन बेंच, जिसने मामले को स्वीकार किया और अंतरिम राहत दी, ने वैकल्पिक उपचार के तर्क के बावजूद रिट याचिका पर विचार करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले में अपने विवेकाधिकार का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया था।इसके अलावा, एक अन्य खंड पीठ ने भी इसी तरह 26.07.2017 और 30.08.2017 पर याचिकाकर्ता के पक्ष में फिर से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया।इसलिए यह किसी अन्य खंड पीठ के लिए खुला नहीं था, जिसने पहले की दो खंड पीठों की तुलना में मौलिक रूप से अलग तरीके से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए 19.08.2019 पर मामले की सुनवाई की।

/

/

... न्या।वैकल्पिक उपचार की आपत्ति केवल प्रवेश चरण में ही उठाई जा सकती है न कि अंतिम सुनवाई के चरण में, अभिवचनों के पूरा होने के बाद।

/

7. विचार के लिए दो मुद्दे उत्पन्न होते हैं, एक अपीलीय उपचार की उपलब्धता के संबंध में और दूसरा एक वैकल्पिक प्रभावी उपचार की उपलब्धता के कारण अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने के संबंध में।संक्षेप में, मामला इस प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या वास्तव में कोई अपीलीय उपाय उपलब्ध है, यदि अधिनियम की धारा 115 क्यूए के अंतर्गत कोई निर्धारण किया जाता है कि कंपनी "वितरित आय पर 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आयकर" का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।इस पर विचार करने के उद्देश्य से कि क्या ऐसा कोई अपीलीय उपचार है, हमें अधिनियम की संबंधित धाराओं पर ध्यान देना चाहिए जो अपीलीय उपचार और उससे संबंधित प्रावधानों से संबंधित हैं।

/

/

/

[2019] 17 एस सी आर।

अपील के ऐसे अधिकार का प्रयोग।धारा 246 (1) और 246 ए (1) जो वर्तमान प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक हैं, उन्हें नीचे निकाला गया हैः-

“246. अपील योग्य आदेश-(1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संयुक्त आयुक्त के अलावा किसी अन्य निर्धारण अधिकारी के निम्नलिखित आदेशों में से किसी से व्यथित कोई भी निर्धारिती ऐसे आदेश के खिलाफ 1 जून, 2000 से पहले उपायुक्त (अपील) को अपील कर सकता है -

/

(क) निर्धारिती के खिलाफ एक आदेश, जहां निर्धारिती इस अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्व का आकलन करने से इनकार करता है, या धारा 143 की उप-धारा (1) या उप-धारा (आई. बी.) के अंतर्गत एक सूचना, जहां निर्धारिती समायोजन करने या धारा 143 की उप-धारा (3) या धारा 144 के अंतर्गत मूल्यांकन के किसी भी आदेश पर आपत्ति करता है, जहां निर्धारिती निर्धारित आय की राशि, या निर्धारित कर की राशि, या संगणित नुकसान की राशि, या उस स्थिति पर आपत्ति करता है जिसके अंतर्गत उसका आकलन किया जाता है।

/

/

(ख) धारा 147 या धारा 150 के अंतर्गत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनः संगणना का आदेश;

(ग) धारा 154 या धारा 155 के अंतर्गत एक आदेश जिसका मूल्यांकन बढ़ाने या धनवापसी को कम करने का प्रभाव है या उक्त धाराओं में से किसी के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की अनुमति देने से इनकार करने का आदेश;

/

((घ) धारा 163 के अधीन निर्धारिती अंतर्गत अनिवासी का अभिकर्ता मानते हुए किया गया आदेश;

/

(ई) धारा 170 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अंतर्गत एक आदेश;

(च) धारा 171 के अधीन आदेश; (छ) 1 अप्रैल, 1992 को या उससे पहले शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारण के संबंध अंतर्गत उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन या धारा 185 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (5) के अधीन कोई आदेश;

/

(ज) क में उप-धारा (1) या धारा 186 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी फर्म के पंजीकरण को रद्द करने वाला कोई आदेश।

/

153

जनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विभाग

आय कर आयुक्त [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

1 अप्रैल, 1992 को या उससे पहले शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन के संबंध में; (i) धारा 201 के अंतर्गत एक आदेश;

(जे) 1 अप्रैल, 1988 को शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्व निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी निर्धारण के संबंध में धारा 216 के अंतर्गत एक आदेश;

/

((ट) धारा 237 अंतर्गत आदेश; (ट) धारा 221 अंतर्गत दंड अधिरोपित करने वाला आदेश; या

/

(ii) धारा 271, धारा 271 ए, धारा 271 बी, धारा 272 ए, धारा 272 एए या धारा 272 बीबी;

((ग) धारा 272, धारा 272 ख या धारा 273, जैसा कि वे 1 अप्रैल, 1989 से ठीक पहले थे, 1 अप्रैल, 1988 को शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी भी पूर्व निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन के संबंध में।

/

246 क. आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील योग्य आदेश।– (1) निम्नलिखित आदेशों में से किसी से व्यथित कोई भी निर्धारिती या कोई कटौतीकर्ता या कोई भी कलेक्टर (चाहे वह नियत दिन से पहले या बाद में किया गया हो) आयुक्त (अपील) के खिलाफ अपील कर सकता है -

/

(क) धारा 115 वीपी की उप-धारा (3) के खंड (ii) के अंतर्गत एक संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश या निर्धारिती के खिलाफ एक आदेश जहां निर्धारिती इस अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्व का आकलन करने से इनकार करता है या धारा 143 की उप-धारा (1) या उप-धारा (1 बी) या धारा 200 ए की उप-धारा (1) या धारा 206 सीबी की उप-धारा (1) के अंतर्गत एक सूचना, जहां निर्धारिती या कटौतीकर्ता या कलेक्टर समायोजन करने या धारा 143 की उप-धारा (3) के अंतर्गत मूल्यांकन के किसी आदेश पर आपत्ति जताता है, सिवाय विवाद समाधान पैनल के निर्देशों के अनुसरण में पारित आदेश या धारा 144 बीए की उप-धारा (12) में निर्दिष्ट आदेश के।

/

/

/

(ए. ए.) धारा 115 डब्ल्यू. ई. या धारा 115 डब्ल्यू. एफ. की उप-धारा (3) के अंतर्गत मूल्यांकन का आदेश, जहां निर्धारिती, एक नियोक्ता होने के नाते, मूल्यांकन किए गए सीमांत लाभों के मूल्य पर आपत्ति करता है;

((ख) धारा 115 डब्ल्यू. जी. के अंतर्गत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का आदेश;

/

(ख) विवाद समाधान पैनल के निर्देशों या धारा 144 ख या धारा 150 की उप-धारा (12) में निर्दिष्ट आदेश के अनुसरण में पारित आदेश को छोड़कर धारा 147 के अंतर्गत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनः संगणना का आदेश;

/

((ख) धारा 153 क के अधीन निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन का आदेश, सिवाय विवाद समाधान पैनल के निर्देशों के अनुसरण अंतर्गत पारित आदेश या धारा 144 खक उप-धारा (12) अंतर्गत निर्दिष्ट आदेश के;

/

(ख) धारा 92 सीडी की उप-धारा (3) के अंतर्गत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का आदेश;

(ग) धारा 154 या धारा 155 के अंतर्गत किया गया एक आदेश जिसका प्रभाव निर्धारण को बढ़ाने या धनवापसी को कम करने या धारा 144 बीए की उप-धारा (12) में निर्दिष्ट आदेश को छोड़कर उक्त धाराओं में से किसी एक के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की अनुमति देने से इनकार करने का आदेश है;

/

/

((घ) धारा 163 के अधीन निर्धारिती अंतर्गत अनिवासी का अभिकर्ता मानते हुए किया गया आदेश;

(ई) धारा 170 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अंतर्गत किया गया आदेश;

(च) धारा 171 के अधीन किया गया आदेश; (छ) 1 अप्रैल, 1992 को या उससे पहले शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के निर्धारण के संबंध अंतर्गत उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन या धारा 185 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (5) के अधीन किया गया आदेश;

/

/

155

जनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विभाग

आय कर आयुक्त [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

(ज) 1 अप्रैल, 1992 को या उससे पहले शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्व निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारण के संबंध में उप-धारा (1) के अंतर्गत या धारा 186 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी फर्म का पंजीकरण रद्द करने का आदेश;

/

(हा) धारा 201 के अंतर्गत किया गया आदेश;

(एच. बी.) धारा 206 सी की उप-धारा (6 ए) के अंतर्गत किया गया आदेश;

(i) धारा 237 के अंतर्गत किया गया आदेश; (जे) धारा 221 के अंतर्गत जुर्माना लगाने वाला आदेश; या

/

(बी) धारा 271, धारा 271 ए, 271 एएबी, 271 एएबी, धारा 271 एफ, धारा 271 एफबी, धारा 272 एए या धारा 272 बीबी;

/

(ग) धारा 272, धारा 272 ख या धारा 273, जैसा कि वे 1 अप्रैल, 1989 से ठीक पहले थे, 1 अप्रैल, 1988 को शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन या किसी भी पूर्व निर्धारण वर्ष के संबंध में;

/

(जे. ए.) धारा 275 की उप-धारा (1 ए) के अंतर्गत जुर्माना लगाने या बढ़ाने का आदेश;

(के) धारा 132 के अंतर्गत शुरू की गई तलाशी या लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या धारा 132 ए के अंतर्गत 1 जनवरी, 1997 को या उसके बाद मांगी गई किसी भी संपत्ति के संबंध में धारा 158 बीसी के खंड (सी) के अंतर्गत एक निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन आदेश;

/

(एल) धारा 158 बीएफए की उप-धारा (2) के अंतर्गत जुर्माना लगाने का आदेश;

/

(एम) धारा 271 बी या धारा 271 बीबी के अंतर्गत जुर्माना लगाने का आदेश;

(एन) धारा 271 सी, धारा 271 सीए, धारा 271 डी या धारा 271 ई के अंतर्गत जुर्माना लगाने वाला उपायुक्त द्वारा दिया गया आदेश;

/

(ओ) उपायुक्त या उप निदेशक द्वारा धारा 272 ए के अंतर्गत जुर्माना लगाने का आदेश;

(पी) धारा 272 एए के अंतर्गत जुर्माना लगाने वाला उपायुक्त द्वारा दिया गया आदेश;

(क्यू) अध्याय 21 के अंतर्गत जुर्माना लगाने वाला आदेश; (आर) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपायुक्त के अलावा किसी अन्य निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश जो बोर्ड मामलों की प्रकृति, इसमें शामिल जटिलताओं और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दे।

/

/

स्पष्टीकरण .– इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके बाद, उपायुक्त के पद को संयुक्त आयुक्त के रूप में फिर से नामित किया गया है और उप निदेशक के पद को संयुक्त निदेशक के रूप में फिर से नामित किया गया है, इस उप-धारा में "उपायुक्त" और "उप निदेशक" के लिए संदर्भों को क्रमशः "संयुक्त आयुक्त" और "संयुक्त निदेशक" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। "

/

8. धारा 246 (1) (ए) के साथ-साथ धारा 246 ए (1) (ए) में दिखाई देने वाली प्रमुख अभिव्यक्तियों में से एक यह है कि "जहां निर्धारिती इस अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्व का आकलन करने से इनकार करता है"।

/

9. आयकर, 1922 की धारा 30 में होने वाली इसी तरह की अभिव्यक्ति इस न्यायालय के आयुक्त के समक्ष विचार के लिए आई।

आयकर**,** यू**.** पी**.,** लखनऊ बनाम कानपुर कोयला सिंडिकेट **1.**प्रासंगिक

निर्णय में उद्धृत धारा 30 (1) का हिस्सा थाः- “30.(1) कोई भी निर्धारिती जो धारा 23 के अंतर्गत निर्धारित आय की राशि या धारा 23 के अंतर्गत निर्धारित कर की राशि पर आपत्ति करता है या इस अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्व का आकलन करने से इनकार करता है, वह मूल्यांकन के खिलाफ या ऐसे इनकार या आदेश के खिलाफ अपीलीय सहायक आयुक्त से अपील कर सकता हैः "

/

/

निर्धारिती द्वारा उठाए गए तर्क पर निम्नानुसार विचार किया गयाः- “आयकर अधिकारी इसके तर्क को अस्वीकार कर सकता है और संघ की कुल आय का आकलन कर सकता है और उस पर कर लगा सकता है।धारा 30 के अंतर्गत एक निर्धारिती जो इस पर आपत्ति करता है

1 आकाशवाणी (1965) एससी 325:1964 (53) आईटीआर 225 ए

/

जनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विभाग

आय कर आयुक्त [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

धारा 23 के अंतर्गत निर्धारित आय की राशि या उक्त धारा के अंतर्गत निर्धारित कर की राशि या अधिनियम के अंतर्गत उसके दायित्व का आकलन करने से इनकार करने के लिए अपीलीय सहायक आयुक्त के पास आयकर के आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं।यह कहा जाता है कि आयकर अधिकारी द्वारा व्यक्तियों के एक संघ की याचिका को खारिज करते हुए दिया गया आदेश कि उसके सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाएगा, ऊपर उल्लिखित तीन शीर्षों अंतर्गत से एक या अन्य के अंतर्गत नहीं आता है।निर्धारिती की आपत्ति का सार क्या है? निर्धारिती मामले की परिस्थिति में अधिनियम के अंतर्गत मूल्यांकन किए जाने वाले अपने दायित्व से इनकार करता है और अनुरोध करता है कि संघ के सदस्यों का मूल्यांकन केवल व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा।"दायित्व से इनकार" अभिव्यक्ति न केवल दायित्व से पूर्ण इनकार करने के लिए बल्कि विशेष परिस्थितियों अंतर्गत कर के दायित्व को भी लेने के लिए पर्याप्त व्यापक है।दोनों ही मामलों में अस्वीकार करना अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मूल्यांकन किए जाने वाले दायित्व से इनकार है। एक मामले में अभिग्राही का कहना है कि वह अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं है, और दूसरे मामले में निर्धारिती अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कर के लिए अपने दायित्व से इनकार करता है यदि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपयुक्त अधिकारी को दिए गए विकल्प का न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाता है।इसलिए हम मानते हैं कि ऐसे निर्धारिती को आयकर अधिकारी के आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अपील करने का अधिकार है, जो उसके सदस्यों के बजाय व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के संघ का आकलन करता है। "

/

/

/

/

यह निष्कर्ष निकाला गया कि "दायित्व से इनकार" अभिव्यक्ति न केवल दायित्व से पूर्ण इनकार बल्कि विशेष परिस्थितियों अंतर्गत कर के दायित्व को भी लेने के लिए पर्याप्त व्यापक है।

/

10. हालाँकि, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत निवेदन यह है कि धारा 246 ए में "निर्धारिती के दायित्व का आकलन करने से इनकार" अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत मूल्यांकन किए जाने वाले उसके दायित्व तक ही सीमित है और इसका धारा 115 क्यूए के अंतर्गत कर का भुगतान करने के दायित्व से कोई लेना-देना नहीं है। अपीलार्थी के अनुसार, धारा 115 क्यूए के अंतर्गत शेयरों की पुनर्खरीद के संबंध में देय कर "कुल आय" पर देय कर नहीं है।

/

11. अब हम अधिनियम की धारा 246 (1) (ए) में निर्दिष्ट आदेशों या स्थितियों के प्रकारों पर विचार कर सकते हैं, जो हैंः-

(i) निर्धारिती के खिलाफ एक आदेश, जहां निर्धारिती इस अधिनियम के अंतर्गत मूल्यांकन किए जाने वाले अपने दायित्व से इनकार करता है, या

/

158

/

[2019] 17 एस सी आर।

((ii) धारा 143 की उप-धारा (1) या उप-धारा (1 ख) के अंतर्गत एक सूचना जहां निर्धारिती समायोजन करने पर आपत्ति करता है, या

(iii) धारा 143 या धारा 144 की उप-धारा (3) के अंतर्गत मूल्यांकन का कोई भी आदेश, जहां निर्धारिती आपत्ति करता हैः- निर्धारित आय की राशि, या

/

निर्धारित कर की राशि के लिए, या

संगणित हानि की राशि के लिए, या

उस स्थिति के लिए जिसके अंतर्गत उसका मूल्यांकन किया जाता है।

/

ऊपर (ii) और (iii) में वर्णित आकस्मिकताएं अधिनियम की धारा 143 या धारा 144 के अंतर्गत मूल्यांकन कार्यवाही से उत्पन्न होती हैं, लेकिन पहली आकस्मिकता एक स्वतंत्र अभिधारणा है और यह विशुद्ध रूप से अधिनियम की धारा 143 या धारा 144 के अंतर्गत मूल्यांकन कार्यवाही पर निर्भर नहीं है। कानपुर कोयला सिंडिकेट 1 में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित "मूल्यांकन किए जाने के लिए अपने दायित्व से इनकार" अभिव्यक्ति हर उस मामले को अपने दायरे में लेने के लिए काफी व्यापक है जहां निर्धारिती अधिनियम के अंतर्गत मूल्यांकन किए जाने के लिए अपने दायित्व से इनकार करता है।

/

12. अधिनियम की धारा 115 क्यू. ए. में कहा गया है कि उक्त धारा के प्रावधानों में निर्दिष्ट शेयरों की पुनर्खरीद के मामले में, कंपनी वितरित आय पर 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।उस ओर से कोई भी निर्धारण, चाहे वह

देयता की मात्रा के संबंध में हो या यह प्रश्न कि क्या ऐसी कंपनी उत्तरदायी है या नहीं, ऊपर उल्लिखित पहले अभिधारणा के दायरे में आने वाले मामले होंगे।इसी तरह की स्थिति धारा 246 ए (1) (ए) के प्रावधानों के संबंध में है जहां फिर से कुछ स्थितियों पर विचार किया गया है, उनमें से एक "निर्धारिती के खिलाफ एक आदेश है, जहां निर्धारिती इस अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्व का आकलन करने से इनकार करता है"।देयता की गणना और सीमा अधिनियम की धारा 115 क्यूए के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। अधिनियम के अंतर्गत इस तरह का निर्धारण स्पष्ट रूप से उक्त अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल होगा।ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस तरह की अभिव्यक्ति का दायरा अधिनियम की धारा 143 या धारा 144 के अंतर्गत मूल्यांकन कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े मुद्दों तक ही सीमित और सीमित हो।

/

/

/

13. यदि अपीलार्थी की प्रस्तुति स्वीकार की जाती है और धारा 246 (1) (ए) या धारा 246 ए (1) (ए) में ऊपर बताई गई संबंधित अभिव्यक्ति को ए के दायित्व से संबंधित माना जाना है।

/

159

जनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विभाग

आय कर आयुक्त [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

निर्धारिती का आकलन धारा 143 (3) के अंतर्गत किया जाना है, जैसा कि तर्क दिया गया है, धारा 115QA के अंतर्गत किसी भी निर्धारण के मामले में कोई अपीलीय उपाय नहीं होगा। मुद्दे न केवल इस प्रश्न तक सीमित हो सकते हैं कि क्या कंपनी बिल्कुल भी उत्तरदायी है, बल्कि दायित्व की सीमा और गणना के संबंध में अन्य पहलुओं से भी संबंधित हो सकते हैं।यदि निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो हर बार विवाद को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक याचिका जैसी कार्यवाही में उठाया जाना आवश्यक होगा, जिसे आम तौर पर तथ्य के किसी भी विवादित प्रश्न या मामले के तथ्यात्मक पहलुओं के मामले में स्वीकार नहीं किया जाएगा।इस प्रकार निर्धारिती न केवल मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करने का उपाय खो सकता है, बल्कि अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध मंचों के पदानुक्रम के अंतर्गत उसके लिए उपलब्ध चुनौतियों के नियमित माध्यमों से भी वंचित रह सकता है।

/

/

14. हम, इसलिए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को अस्वीकार करते हैं और मानते हैं कि अधिनियम की धारा 115QA के अंतर्गत दायित्व के निर्धारण के खिलाफ एक अपील बनाए रखने योग्य होगी।

/

15. अब हम इस प्रश्न की ओर मुड़ते हैं कि क्या उच्च न्यायालय ने पर्याप्त अपीलीय उपचार की उपलब्धता के कारण रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।इस मुद्दे पर विधि बहुत स्पष्ट है और

आयकर आयुक्त और अन्य बनाम छबील दास अग्रवाल 2 में संक्षेप में कहा गया हैः-

/

“11. तथ्य प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले, हम इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांत पर ध्यान देंगे।यह तय किया गया विधि है कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत याचिकाओं का गैर-मनोरंजन जब एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होता है तो यह स्व-लागू सीमा का नियम है।यह अनिवार्य रूप से विधि के शासन के बजाय नीति, सुविधा और विवेक का नियम है।निस्संदेह, एक वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व के बावजूद अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राहत देना उच्च न्यायालय के विवेकाधिकार के भीतर है।हालाँकि, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए यदि याचिकाकर्ता के लिए पर्याप्त प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है और उसने इसका लाभ उठाए बिना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जब तक कि उसने इस तरह के हस्तक्षेप की गारंटी देने वाला कोई असाधारण मामला नहीं बनाया है या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।(यू. पी. की स्थिति देखें।

/

/

वी. मोहम्मद।नूह 3, टीटाघुर पेपर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम.की स्थिति

2 (2014) 1 एससीसी 603 3 एआईआर 1958 एससी 86

/

उड़ीसा 4, हरबंसलाल साहनिया बनाम इंडियन ऑयल कार्पोरेशन।लि. 5 और स्टेट ऑफ एच. पी. बनामगुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड 6)

12. के. एस. राशिद में इस न्यायालय की संविधान पीठ और

बेटा बनाम आयकर जांच आयोग 7, संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण 8, भारत संघ बनाम टी. आर. वर्मा 9, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम उत्तर प्रदेशमोहम्मद.नूह 3 और के. एस. वेंकटरमन एंड कंपनी। (पी) लिमिटेड

/

v. मद्रास राज्य 10 ने अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के मामले में बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन रिट का उपचार पूरी तरह से विवेकाधीन है।यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि पीड़ित पक्ष को कहीं और पर्याप्त या उपयुक्त राहत मिल सकती है, तो वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।न्यायालय , असाधारण परिस्थितियों में, शक्ति का प्रयोग कर सकता है यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है या निर्णय के लिए आवश्यक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है।[एन. टी. वेलुस्वामी को देखें

/

थेवर बनाम जी. राजा नैनार 11, नगर परिषद, खुराई बनाम कमल कुमार 12, सिलीगुड़ी नगर पालिका बनाम अमलेंदु दास 13, एस. टी. मुथुसामी बनाम के. नटराजन 14, राजस्थान एस. आर. टी. सी. बनाम कृष्ण कांत 15, केरल एस. ई. बी. बनाम कुरियन ई. कलाथिल 16, ए. वेंकटसुब्बिया नायडू बनाम एस. चेलप्पन 17, एल. एल. सुधाकर रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य 18, श्री संत सद्गुरु जनार्दन स्वामी (मोइंगिरी महाराज) सहकारी दुगधा उत्थापक संस्था बनाम महाराष्ट्र राज्य 19, प्रताप सिंह बनाम हरियाणा राज्य 20 और जी. के. एन.आई. टी. ओ. 21]

/

/

4 (1983) 2 एससीसी 433:1983 एससीसी (कर) 131 5 (2003) 2 एससीसी 107

6 (2005) 6 एससीसी 499

7 ए. आई. आर 1954 एस. सी 207

/

8 आकाशवाणी 1955 एस. सी. 425

9 ए. आई. आर 1957 एस. सी. 882

10 आकाशवाणी 1966 एससी 1089

11 ए. आई. आर 1959 एस. सी. 422

12 एयर 1965 एससी 1321:(1965) 2 एससीआर 653 13 (1984) 2 एससीसी 436:1984 एससीसी (कर) 133 14 (1988) 1 एससीसी 572

/

15 (1995) 5 एससीसी 75:1995 एससीसी (एल एंड एस) 1207:(1955) 31 एटीसी 110 16 (2000) 6 एससीसी 293

17 (2000) 7 एस. सी. सी. 695

18 (2001) 6 एस. सी. सी. 634

19 (2001) 8 एससीसी 509

20 (2002) 7 एससीसी 484:2002 एस. सी. सी. एल. एंड एस.) 1207:(1995) 31 एटीसी 110 21 (2003) 1 एससीसी 72 ए

/

161

जनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विभाग

आय कर आयुक्त [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

...

15. इस प्रकार, जबकि यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय ने वैकल्पिक उपचार के नियम के कुछ अपवादों को मान्यता दी है, अर्थात जहां सांविधिक प्राधिकरण ने प्रश्न अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया है, या न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना की है, या उन प्रावधानों को लागू करने का सहारा लिया है जो निरस्त किए गए हैं, या जब कोई आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है, तो थानसिंह नथमल मामले 22, टीटाघुर पेपर मिल्स मामले 4 में निर्धारित प्रस्ताव और इसी तरह के अन्य निर्णय कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक याचिका पर विचार नहीं करेगा यदि पीड़ित व्यक्ति के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है या कानून जिसके अंतर्गत शिकायत की गई कार्रवाई की गई है, उसमें निवारण के लिए एक तंत्र शामिल है। इसलिए, जब शिकायतों के निवारण के लिए विधि द्वारा एक वैधानिक मंच बनाया जाता है, तो वैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। "

/

/

/

हाल ही में, अधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और

एन. आर. वी.मैथ्यू के. सी. **23,** छबील दास अग्रवाल **2** में निर्धारित सिद्धांतों को निम्नानुसार दोहराया गया थाः

/

“अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र निरपेक्ष नहीं है, लेकिन किसी मामले के दिए गए तथ्यों में और विधि के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।सामान्य नियम यह है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए यदि वैकल्पिक वैधानिक उपचार उपलब्ध हैं, सिवाय उन मामलों के जो अच्छी तरह से परिभाषित अपवादों के भीतर आते हैं।

/

सी. आई. टी. बनाम छबील दास अग्रवाल 2 में।

16. इसलिए, हम रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं।यह निवेदन कि प्रारंभिक आपत्ति उठाए जाने के बावजूद एक बार सीमा पार करने के बाद, उच्च न्यायालय को वैकल्पिक उपचार के संबंध में मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहिए था, सही नहीं हो सकता है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.01.2017 के पहले आदेश में प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया यह विचार था कि

/

22 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1419 23 (2018) 3 एस. सी. सी. 85

/

धारा 115 क्यू. ए. में परिभाषित लेन-देन शुरू में केवल उन लोगों तक ही सीमित थे जो कंपनी अधिनियम की धारा 77 ए के दायरे में आते हैं। इसलिए प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किए बिना मामले में नोटिस जारी किया गया।बाद के आदेश ने निस्संदेह पहले के अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बना दिया।हालाँकि, प्रारंभिक आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया और उसका निपटारा नहीं किया गया, फिर भी मामला अभी भी फरार था।

/

समिति और अन्य 24 इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या प्रवेश के बाद, रिट याचिका को वैकल्पिक उपचार के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।इस न्यायालय द्वारा इस निवेदन पर निम्नानुसार विचार किया गया थाः

/

“38. विद्वान न्यायाधीश के संबंध में, यह न तो कानूनी स्थिति है और न ही सुरेश चंद्र तिवारी 25 में ऐसा कोई प्रस्ताव रखा गया है कि एक बार याचिका स्वीकार किए जाने के बाद, इसे वैकल्पिक उपचार के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अखिल भारतीय रिपोर्टर (पृष्ठ 331) के मुख्य लेख में यह कहा गया है कि "याचिका को अपील दायर करने के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।"लेकिन न्यायालय के वास्तविक फैसले में ऐसा नहीं माना गया है।निर्णय का प्रासंगिक पैरा 2 इस प्रकार हैः(सुरेश चंद्र तिवारी मामला, आकाशवाणी पृष्ठ 331)

/

/

“2. इस याचिका की सुनवाई के समय इसकी स्थिरता के बारे में एक सीमा प्रश्न इस आधार पर उठाया गया था कि आक्षेपित आदेश एक अपील योग्य था और इसलिए, इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले याचिकाकर्ता को

अपीलीय प्राधिकरण।यद्यपि उपरोक्त विवाद में बहुत सार है, हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक उपचार के आधार पर इस याचिका को अस्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि याचिका पर विचार किया गया है और एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है। "

/

(जोर दिया गया) अन्यथा भी, विद्वान न्यायाधीश विधि ी रूप से सही नहीं था।यह सच है कि नियम निसी जारी करना या अंतरिम आदेश पारित करना किसी याचिका को खारिज नहीं करने के लिए एक प्रासंगिक विचार है यदि यह उच्च न्यायालय को प्रतीत होता है कि मामले का निर्णय एक रिट अदालत द्वारा किया जा सकता है।यह इस तरह आयोजित किया गया है

/

24 (2008) 12 एस. सी. सी. 675

25 ए. आई. आर. 1992 सभी 331 (सुरेश चंद्र तिवारी बनाम जिला आपूर्ति अधिकारी)

/

जनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विभाग

आय कर आयुक्त [उदय उमेश ललित, जे.]

/

इस न्यायालय द्वारा भी कई मामलों में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर भी एक रिट याचिका विचारणीय नहीं है।हालाँकि, हमारे निर्णय में, यह विधि के प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि एक बार याचिका स्वीकार किए जाने के बाद, इसे वैकल्पिक उपचार के आधार पर कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता है। यदि इस तरह के गंजे विवाद को बरकरार रखा जाता है, तो यह न्यायालय भी एक रिट याचिका को खारिज करने का आदेश नहीं दे सकता है, जिस पर पीड़ित पक्ष को वैकल्पिक और समान रूप से प्रभावी उपचार की उपलब्धता को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था, एक बार जब उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका पर गलत तरीके से विचार किया हो और याचिकाकर्ता को राहत दी हो।

/

17. इसलिए हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण और निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों में दर्ज राजस्व की ओर से दी गई रियायतें भी पूर्वाग्रह के मामलों, यदि कोई हों, का ध्यान रखती हैं।नतीजतन, वास्तव में, अपीलार्थी के पास अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील के माध्यम से एक पूर्ण, पर्याप्त और प्रभावी उपाय होगा।

/

/

18. सुनवाई के दौरान उठाए गए कुछ मुद्दे उन पहलुओं को छूते हुए कि क्या अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 115 क्यूए के अंतर्गत उत्तरदायी है या क्या वर्तमान मामले में शेयरों की पुनर्खरीद का लेनदेन उक्त धारा 115 क्यूए की वैधानिक रूपरेखा के भीतर आएगा या नहीं, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित चरणों में विचार किया जाएगा; और इस तरह हमने उन मुद्दों से निपटने से परहेज किया है।

/

19. इन परिस्थितियों में हम पाते हैं कि अपील के अंतर्गत निर्णय और आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

20. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा 30.08.2019 पर की गई अपील पर अब विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कल्पना के. त्रिपाठी

याचिका खारिज कर दी गई।

/

/